

[2025:आरजे-जेडी:1759]

राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1212/2015

ममता शर्मा

----याचिकाकर्ता

बनाम

राज्य और अन्य।

----प्रतिवादीगण

---

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए	:	श्री मनोज बोहरा
प्रतिवादीगण के लिए	:	श्री एन.एस. राजपुरोहित, एएजी सुश्री राखी चौधरी

---

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

**10/01/2025**

1. याचिकाकर्ता ने यहां अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.11.2013 (अनुलग्नक 14) में इस सीमा तक संशोधन की मांग की है कि उसकी सेवाओं को 08.04.2013 के बजाय 06.08.2012 से पुष्ट माना जाए और इसके परिणामस्वरूप होने वाले लाभों की भी मांग की है।

2. संक्षेप में, याचिका में अभिवचति प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:

2.1. याचिकाकर्ता को प्रारंभ में अनुकंपा के आधार पर कनिष्ठ लिपिक के पद पर आदेश दिनांक 06.08.2010 द्वारा नियुक्ति मिली थी तथा उसने अपनी सेवा में नियुक्ति ग्रहण की।

---

तत्पश्चात्, 06.08.2012 को अपनी परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर, उसने प्रतिवादीगण को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि उसकी टंकण परीक्षा आयोजित की जाए, जैसा कि राजस्थान अनुकंपा नियुक्ति नियम, 1996 के तहत नियमितीकरण के लिए आवश्यक है। उक्त परीक्षा दो वर्ष की अवधि के भीतर, अर्थात् परिवीक्षा अवधि के दौरान उत्तीर्ण की जानी थी; हालाँकि, प्रतिवादीगण ने इन दो वर्षों के दौरान अपने स्तर पर कभी भी परीक्षा आयोजित नहीं की। उसने परीक्षा के लिए प्रतिवादीगण से बार-बार संपर्क किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ।

2.2. इसके बाद, प्रतिवादीगण ने 03.04.2013 को टंकण परीक्षा आयोजित की और पहली बार में ही याचिकाकर्ता ने परीक्षा पास कर ली। आदेश दिनांक 28.11.2013 (अनुलग्नक 14) के तहत 08.04.2013 से उसकी सेवाओं की पुष्टि की गई। इसके बाद, उसने सक्षम प्राधिकारी से यह कहते हुए संपर्क किया कि उसकी सेवाओं की पुष्टि 08.04.2013 के बजाय 06.08.2012 से, यानी उसकी दो साल की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, की जानी चाहिए थी। हालाँकि, प्रतिवादीगण द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए, यह याचिका।

3. प्रत्युत्तर में लिया गया पक्ष यह है कि नियुक्ति आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता को दो साल के भीतर विभाग द्वारा आयोजित कंप्यूटर टंकण परीक्षा पास करना आवश्यक था। याचिकाकर्ता ने परीक्षा के लिए आवेदन किया। प्रारंभ में, एक टाइपराइटर टेस्ट आयोजित किया गया था, लेकिन कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 19.08.2010 और आदेश दिनांक 06.09.2010 के बाद, कंप्यूटर टंकण परीक्षा शुरू की गई थी। इसके

---

कारण, पाठ्यक्रम, नियमों और प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने के साथ-साथ कंप्यूटर लैब की स्थापना में राज्य सरकार द्वारा देरी हुई। नतीजतन, याचिकाकर्ता का आवेदन वापस कर दिया गया। प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने के बाद, अप्रैल 2013 में परीक्षा शुरू हुई, और याचिकाकर्ता को उपस्थित होने की अनुमति दी गई। उसने परीक्षा उत्तीर्ण की और प्रतिवादीगण ने उसे 08.04.2013 को एक प्रमाण पत्र जारी किया।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वन्द्वी तर्कों को सुना।

5. बिल्कुल प्रारंभ में ही, मैं यह कहने के लिए बाध्य हूँ कि प्रतिवादीगण द्वारा लिया गया पक्ष पूर्णतः एकतरफा है। उनका कहना है कि चूँकि याचिकाकर्ता ने लागू सेवा नियमों के तहत दो वर्षों के भीतर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की, इसलिए परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर उसकी सेवाओं की पुष्टि नहीं की गई। निस्संदेह, याचिकाकर्ता के लिए अपेक्षित परीक्षा पास करना अनिवार्य था, लेकिन वर्तमान मामले में स्थिति विपरीत प्रतीत होती है। याचिकाकर्ता उपरोक्त परीक्षा देने के लिए पूरी तरह से इच्छुक और उपलब्ध थी, लेकिन विभाग ही दो वर्षों की निर्धारित अवधि के भीतर परीक्षा आयोजित करने में विफल रहा।

6. वास्तव में, विभाग ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी क्योंकि पाठ्यक्रम और अन्य नियम अभी भी तैयार किए जा रहे थे। जब पाठ्यक्रम और नियम अंतिम रूप से निर्धारित हुए, तो 03.04.2013 को परीक्षा आयोजित की गई, और याचिकाकर्ता ने पहले ही प्रयास में इसे पास कर लिया, हालाँकि, निश्चित रूप से, 3 वर्ष की अवधि के बाद।

---

7. अतः, मेरा मत यह है कि विभाग परीक्षा उत्तीर्ण करने में हुई देरी के लिए याचिकाकर्ता को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता, क्योंकि स्वीकृत स्थिति यह है कि विभाग की ओर से हुई देरी के कारण परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी।

8. वास्तव में, प्रत्युत्तर के प्रासंगिक पैरा संख्या 2 और 3 को उद्धृत करना उचित होगा, जो इस प्रकार हैं:

"2. नियुक्ति आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता को नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष के भीतर कंप्यूटर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जो उत्तरदाता प्रतिवादी द्वारा आयोजित की जानी थी याचिकाकर्ता ने उक्त परीक्षा के लिए प्रतिवादी के समक्ष आवेदन किया था।

3. यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि कंप्यूटर टंकण परीक्षा आयोजित करने से पहले, टाइपराइटर पर टंकण परीक्षा आयोजित की गई थी और कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 19.08.2010 और आदेश दिनांक 06.09.2010 द्वारा कंप्यूटर टंकण परीक्षा शुरू की गई थी। इसलिए, इन आदेशों के अनुपालन में, उत्तरदाता प्रतिवादी के साथ कंप्यूटर लैब की स्थापना, परीक्षा का पाठ्यक्रम, उक्त परीक्षा आयोजित करने के नियम और प्रक्रिया का मामला राज्य सरकार के समक्ष प्रक्रियाधीन था। इसलिए, याचिकाकर्ता का आवेदन पत्र विभाग को वापस कर दिया गया था और परीक्षा के पाठ्यक्रम, नियम और प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के बाद, उत्तरदाता प्रतिवादी ने अप्रैल, 2013 के बाद ही परीक्षा आयोजित करना शुरू किया था और परीक्षा शुरू करने के बाद, याचिकाकर्ता का आवेदन पत्र शामिल किया गया था और उसे कंप्यूटर टंकण परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी और परिणाम में, उसे उत्तीर्ण घोषित किया गया था और उत्तरदाता प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को दिनांक 08.04.2013 का प्रमाण पत्र जारी किया था।"

9. प्रतिवादीगण द्वारा अपनाए गए उपर्युक्त स्पष्ट रुख को देखते हुए, मेरा विचार यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका को आवश्यक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए।

10. तदनुसार ऐसा ही आदेश दिया जाता है।

11. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.11.2013 (अनुलग्नक 14) को संशोधित किया जाता है। प्रतिवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता की सेवाओं को 08.04.2013 के बजाय 06.08.2012, जो कि उसकी परिवीक्षा अवधि पूरी होने की तिथि है, से नियमित करें। याचिकाकर्ता इससे प्राप्त होने वाले सभी परिणामी लाभों की भी हकदार होगी। प्रतिवादीगण को आवश्यक कार्यवाही उस तिथि से दो माह के भीतर करनी होगी, जिस तिथि से याचिकाकर्ता वर्तमान आदेश की प्रति के साथ सक्षम प्राधिकारी के पास पहुँचती है।

13. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित किये जाते हैं।

(अरुण मोंगा), न्यायमूर्ति

166-सुमित/-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है: हाँ / नहीं

---

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



**Tarun Mehra**

**Advocate**

---